# राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः विप0–1/एक्ट संशो00–446(2)/2020– 763 दिनॉक 16 अप्रैल, 2020

## परिपत्र

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी(संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–7 ख(2) में प्राविधानित सीधा विपणन लाइसेन्सधारी को दैनिक व्यापारिक संव्यवहारों से सम्बन्धित अभिलेख और समस्त लेखाओं को अनुरक्षित करने की व्यवस्था दी गयी है।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मण्डी अधिनियम/नियमावली/उपविधि में उल्लिखित संबंधित समस्त अभिलेख लेखा पत्र भी इन लाइसेन्सधारियों द्वारा अनुरक्षित किये जायेंगे तथा लाइसेन्स एवं मण्डी शुल्क भुगतान के संबंध में उल्लिखित व्यवस्था के अतिरिक्त समस्त व्यवस्था जो मण्डी अधिनियम में प्राविधानित है अन्य सामान्य लाइसेन्स के लिए विहित है, वे यथावश्यक रूप से लागू रहेंगे। अधिक स्पष्टता के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. सीधा विपणन लाइसेंसधारी संबंधित मण्डी समिति से निर्धारित मूल्य पर प्रपत्र पुस्तिकायें/रजिस्टर (प्रपत्र–6, प्रपत्र–9, स्टाक रजिस्टर व मण्डी शुल्क रजिस्टर इत्यादि) प्राप्त करेगा तथा उनका प्रयोग अन्य लाईसेंसियों के लिये निर्धारित प्रकिया से करता रहेगा।
2. सीधा विपणन लाइसेंसधारी ई मण्डी पोर्टल पर भी कार्य करने के लिए अनुमत प्राप्त होगा अर्थात् वह भौतिक रूप से अभिलेख संरक्षित करने के विकल्प के रूप में ई मण्डी पोर्टल पर भी कारोबार करने के लिए अनुमत प्राप्त माना जायेगा।
3. सीधा विपणन लाईसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय के संव्यवहार पर दो प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क की देयता होगी। ऐसे संव्यवहार पर विकास सेस देय नहीं होगा।
4. सीधा विपणन लाईसेंसधारी देय मण्डी शुल्क का भुगतान मण्डी परिषद द्वारा अनुरक्षित उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि खाता संख्या–**30386363813** आई. एफ. एस. सी. कोड़ **SBIN0006893** स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सचिवालय शाखा, लखनऊ में करेगा।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन–पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपनिदेशक(प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ, उत्तर प्रदेश।
5. सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद, मुख्यालय।

16.4.2020

(डा0 हिमांशु शेखर त्रिपाठी)
उप निदेशक(प्रशा0/विप0)

Scanned with CamScanner